रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218808 CG-DL-E-19032020-218808

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941

No. 1051]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

का.आ. 1169(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विषाणु (वायरस) और जीवाणु (बैक्टीरिया) के कारण होने वाले संक्रमण (इन्फेक्शन) को रोकने के लिए हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले अल्कोहल के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, कीमतों और अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तुओं के कच्चे माल के रूप में सामग्री और सामग्री की कीमत आदेश, 2020 कहा जाएगा।
 - (2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में, किसी आवश्यक वस्तु के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को आवश्यक वस्तु माना जाएगा।
- (2) हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले अल्कोहल की कीमतें केंद्र सरकार की सहमति के बिना दिनांक 05.03.2020 को प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होंगी।
- 3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26/1/2020-ईसीआरएंडई] अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

1545 GI/2020 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2020

- **S.O. 1169(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the production, quality, distribution, prices and other aspects of alcohols used in manufacturing the Hand Sanitizers for preventing infections due to virus and bacteria, namely:—
- 1. (1) This order may be called the ingredients and prices of the ingredients as raw materials of Essential Commodities Order, 2020.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. (1) In the Essential Commodities Act, 1955, the raw material used in manufacturing as essential commodity shall be treated as essential commodity.
- (2) The prices of the alcohols used in manufacturing the hand sanitizers shall not exceed from those prevailing on 05.03.2020 without concurrence of the Central Government.
- 3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-26/1//2020-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser